छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3935/2003

याचिकाकर्ता: सुखलाल, पिता- भगेला, क्वार्टर क्रमांक-13, टाटा लाइंस, कैंप-2, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी: भिलाई इस्पात संयंत्र, प्रबंध निदेशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें न्याय हेतु परमादेश या अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 3935/2003

सुखलाल

बनाम

भिलाई इस्पात संयंत्र

आदेश

नियत तारीख: 31.01.2005

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 3935/2003

सुखलाल

बनाम

भिलाई इस्पात संयंत्र

श्री एस. पॉपटानी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

कु. प्रिथा घोषाल, उत्तरवादी की ओर से अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(31.01.2005)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.02.2003 को औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 104/एम.पी.आई.आर. अधिनियम/ए/II/2003 में पारित आदेश की वैधता, विधिकता एवं उपयुक्तता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/एम.पी.आई.आर. अधिनियम/98 में दिनांक 28.02.2003 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज कर उक्त आदेश की पुष्टि की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31(3) के अंतर्गत श्रम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के सुधार के अनुतोष की मांग की। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना

किया कि सेवा अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि 09.01.1945 को परिवर्तित कर 17.06.1950 दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने उत्तरवादी के इस्पात संयंत्र में वर्ष 1972 में सेवा ग्रहण किया था । जब वर्ष 1978 में सेवा अभिलेख तैयार किए गए, तब त्रुटिवश उसकी जन्म तिथि 09.01.1945 दर्ज कर दी गई, जबकि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 17.06.1950 है। जब याचिकाकर्ता को सेवा अभिलेख में की गई इस त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की जानकारी हुई, तब उसने दिनांक 02.07.1984 को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी जन्म तिथि को 17.06.1950 सुधारने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कई बार मौखिक रुप से अनुरोध भी किया, परंतु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंततः, दिनांक 09.01.1998 को उसने पुनः आवेदन प्रस्तुत किया, परंतु जन्म तिथि में कोई सुधार नहीं किया गया। जब याचिकाकर्ता के सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब उसने वर्तमान आवेदन श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उत्तरवादी उपस्थित हुआ एवं लिखित कथन प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता के कथनों का खंडन किया। प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 09.01.1945 ही है। प्रतिवादी ने विशेष रूप से यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी जन्म तिथि 09.01.1945 घोषित की थी। जब उसे संयंत्र में नियुक्त किया गया, उसने दिनांक 06.06.1978 को अपना अनुप्रमाणन फार्म प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी आयु 33 वर्ष घोषित की थी। इस गणना के आधार पर उसका जन्म वर्ष 1945 दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.01.1978 को याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच वरिष्ठ औद्योगिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई, जिसके समक्ष भी उसने अपनी आयु 33 वर्ष घोषित की। चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्म तिथि 09.01.1945 निर्धारित की गई। याचिकाकर्ता को पुनः दिनांक 13.08.1983 को वरिष्ठ औद्योगिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया, जहां उसने अपनी आयु 38 वर्ष घोषित की। यह भी निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.05.1994 को ड्राइविंग लाइसेंस हेतु सेवा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसे दिनांक 03.05.1994 को जारी किया गया, जिसमें उसकी जन्म तिथि 09.01.1945 ही दर्शित है। उसने इस जन्म तिथि पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई। वास्तव में, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के उक्त दावे का खंडन करते हुए यह कहा कि याचिकाकर्ता

द्वारा घोषित एवं समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण बोर्ड द्वारा आकलित वास्तविक जन्म तिथि 09.01.1945 ही है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता को 31 जनवरी 2005 को सेवा-निवृत्त किया जाना है और उसका आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए।

4. श्रम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विभिन्न विवाद्यकों का विरचन किया गया एवं पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने के उपरांत याचिकाकर्ता का प्रकरण इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 17.06.1950 है और अभिलेखों में कोई सुधार संभव नहीं है।

5. उपरोक्त आदेश, जो कि श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2003 को पारित किया गया था, के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त न्यायालय द्वारा भी याचिकाकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया गया एवं श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध ही याचिकाकर्ता ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि वस्तुतः याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 17.06.1950 है तथा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय ने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अपनी जन्म तिथि 17.06.1950 होना सिद्ध नहीं कर सका, यह निर्णय दिया कि सेवा अभिलेख में कोई सुधार संभव नहीं है, जो कि विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष दिया है और आक्षेपित निर्णय को इस माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदर्श पी-2 (जन्म रजिस्टर) की प्रविष्टि को, जो कि विवाद्यक तथ्य के संबंध में एक अखंडनीय दस्तावेज था, गलत रूप में विवेचना किया गया।

7. उत्तरवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। उत्तरवादी ने याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। यह निवेदित किया गया कि श्रम

न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय, दोनों ने संपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य का परीक्षण कर एवं याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान कर यह निष्कर्ष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता अपनी जन्म तिथि 17.06.1950 सिद्ध नहीं कर सका। संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह माननीय न्यायालय न तो पुनः साक्ष्य का मूल्यांकन कर सकता है और न ही अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, अतः यह याचिका पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के दावे का गुण-दोष के आधार पर भी खंडन किया है।

8. मैंने श्रम न्यायालय के अभिलेखों का परीक्षण किया है तथा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का भी परिशीलन किया है।

9. याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष समर्थन में अनेक साक्षियों का परीक्षण कराया। स्वयं याचिकाकर्ता को अ.सा.-1 के रूप में परीक्षित किया गया। एक अन्य साक्षी नोहर को अ.सा.-2 के रूप में परीक्षित किया गया। ग्राम कोटवार बोधराम को अ.सा.-3 के रूप में तथा प्रमोद कुमार दुबे, जो कि कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर में मुख्य प्रतिलिपिकार के रूप में कार्यरत थे, को अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित किया गया। उत्तरवादी/अनावेदक ने भी दो साक्षियों का परीक्षण कराया–संतोष सिंह बैस एवं एस.डब्ल्यू. गोवर्धन–जो उत्तरवादी संस्थान के कर्मचारी थे। याचिकाकर्ता के सभी साक्षियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 17.06.1950 है क्योंकि वे याचिकाकर्ता से भली-भाँति परिचित थे। ग्रामवासी साक्षियों ने अपने स्मृति के आधार पर कथन दिए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने विभिन्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिनमें प्रदर्श पी-2 एक प्रमुख दस्तावेज है, जो ग्राम पीपरलोड के जन्म पंजिका की पृष्ठ क्रमांक 88 की प्रति है, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम से 17.06.1950 की जन्म तिथि अंकित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. उत्तरवादी ने विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो वस्तुतः सेवा अभिलेख हैं, जिनमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 09.01.1945 अंकित है। याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान सहित अनुप्रमाणन फॉर्म को प्रदर्श डी-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दिनांक 17 मई 1982 को जारी परिपत्र क्रमांक एम एंड आर - 52/82 (प्रदर्श डी.7) की प्रति तथा जन्म तिथि निर्धारण संबंधी नियमों को भी प्रस्तुत किया गया है। नियम 4.4 तथा

नियम 4.10 सुसंगत हैं। नियम 4.4 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने सेवा में प्रवेश के समय मैट्रिकुलेशन / स्कूल फाइनल परीक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। यह नियम इस प्रकार उद्धृत है:

"4.4 ऐसे अभ्यर्थियों / कर्मचारियों के लिए जिन्होंने सेवा में प्रवेश के समय मैट्रिक / स्कूल फाइनल / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उनकी आयु के प्रमाण के रूप में निम्नानुसार दस्तावेजों को, उनकी क्रमबद्धता के अनुसार, स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात् (ख) में वर्णित प्रमाण केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब (क) में उल्लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो:

(क) शैक्षणिक संस्था से प्राप्त विद्यालय प्रमाण-पत्र जहाँ अभ्यर्थी / कर्मचारी ने अध्ययन किया हो।

(ख) पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी सेवा अभिलेख / सेवा प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी / कर्मचारी पूर्व में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सरकारी विभाग / स्थानीय निकाय में कार्यरत रहा हो।

(ग) ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, नगर / सूचित क्षेत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संधारित जन्म-मृत्यु पंजिका से सत्यापित नकल।

(घ) चर्च द्वारा जारी बपतिस्मा प्रमाण-पत्र (ईसाई कर्मचारियों हेतु) / हिन्दू कर्मचारियों के लिए कुंडली।

(ङ) शासकीय अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण-पत्र, जहाँ अभ्यर्थी / कर्मचारी का जन्म हुआ हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम 4.10 उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी जन्म तिथि पहले ही विवरण पत्रक / घोषणा पत्र / सेवा पुस्तिका में दर्ज है और जो उनके हस्ताक्षर / अंगूठा-निशान से प्रमाणित है। यह नियम निम्नानुसार उद्धृत है:

"4.10 ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जिनकी जन्म तिथि विवरण पत्रक / घोषणा पत्र / सेवा पुस्तिका में पहले ही दर्ज है और उस पर उनके हस्ताक्षर / अंगूठा-निशान हैं, वह दर्ज तिथि अंतिम एवं बाध्यकारी मानी जाएगी।"

वस्तुतः, ये नियम उत्तरवादी संस्थान में सेवा के समय जन्म तिथि निर्धारण हेतु मार्गदर्शक हैं। ये ऐसे मामलों के लिए नहीं हैं जहाँ कर्मचारी की जन्म तिथि पहले ही

विवरण पत्रक / घोषणा पत्र / सेवा पुस्तिका में दर्ज है और कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित / अंगूठा-निशानित है (कृपया नियम 4.10 देखें) ।

11.श्रम न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के उपरांत यह निष्कर्ष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 17.06.1950 है और यह कि सेवा अभिलेख में दर्ज तिथि 09.01.1945 त्रुटिपूर्ण है। पक्षकारों के समस्त साक्ष्य की सम्यक विवेचना करने के पश्चात श्रम न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। जब यह अपील औद्योगिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, तब औद्योगिक न्यायालय ने भी जन्म रजिस्टर की प्रविष्टि प्रदर्श पी-2 सहित समस्त साक्ष्यों की विधिकता का परीक्षण किया तथा उनका विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया कि श्रम न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष विधिसम्मत एवं उचित है तथा उस पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय के निर्णयों के पश्चात प्रस्तुत याचिका वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत है, जहाँ इस न्यायालय की अधिकारिता सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख उच्चतम न्यायालय द्वारा ***एस्ट्राला रबर वि. दास एस्टेट प्रा. लिमिटेड ए.आई.आर. (2001) 8 एस.सी.सी 97*** में किया गया है। उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कार्य करते हुए, उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों को उनकी अधिकृत सीमा में रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन विधिसम्मत रूप से करें। किन्तु, उच्च न्यायालय को यह असीम अधिकार नहीं है कि वह प्रत्येक प्रकार के अन्यायपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण निर्णयों को, जो अधीनस्थ न्यायालयों / अधिकरणों के अधिकारिता में दिए गए हैं, सुधार सके। इस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग एवं न्यायालयों / अधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप केवल गंभीर कर्तव्यच्युति अथवा विधि अथवा न्याय के मूल सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में ही किया जा सकता है, जहाँ यदि उच्च न्यायालय हस्तक्षेप न करे तो गंभीर अन्याय त्रुटि सुधार के

बिना रह जाए। यह भी विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कार्य करते हुए उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अधीनस्थ न्यायालय के स्थान पर अपना स्वतंत्र निर्णय प्रतिस्थापित कर सकता है, विशेषतः तब जब कोई स्पष्ट अभिलेखीय त्रुटि नहीं हो। यदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा तथ्यात्मक निष्कर्ष ऐसे दिए गए हों जिनका कोई साक्ष्य आधार नहीं हो अथवा वे इतने विकृत हों कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता, तभी उच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्षों को उपेक्षा या अपास्त किया गया है।

> उच्चतम न्यायालय ने ***[(शुगरबाई एम सिद्दीक एवं अन्य वि. रमेश एस हनकरे (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (ए.आई.आर. (2001) 8 एस.सी.सी. 477)]*** में यह भी स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में उच्च न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय / अधिकरण के पास उस विषय में निर्णय करने की अधिकारिता थी और यदि थी, तो क्या आक्षेपित आदेश किसी प्रक्रिया संबंधी अनियमितता से ग्रसित है; अर्थात् न्यायालय का उद्देश्य निर्णय नहीं, अपितु निर्णय पारित करने की प्रक्रिया की वैधता की जाँच करना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्णय ***[(2003) 6 एस.सी.सी. 483 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य वि. श्रीमती गुलैची)]*** में प्रतिविदित सिद्धांतों पर अवलंब लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता के पास जन्म तिथि के संबंध में अखंडनीय प्रमाण उपलब्ध हो, जो पूर्व में दर्ज जन्म तिथि से इतर हो, तो वह जन्म तिथि में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी है। उन्होंने उक्त निर्णय के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित ***[(भारत संघ वि. हरनाम सिंह) (1993) 2 एस.सी.सी. 162]*** का संदर्भ भी दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्ण अधिकार में था कि वह ऐसा आवेदन प्रस्तुत करे और जब उसने अपने समर्थन में अखंडनीय प्रमाण प्रस्तुत कर दिए थे, तब श्रम न्यायालय को उन पर विश्वास करते हुए उसके पक्ष में आदेश पारित करना चाहिए था।

14. यहाँ विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी या श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार रखता था। विवाद सीमित परिधि में है, और वह यह है कि जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने–याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी

द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य, जिसमें जन्म रजिस्टर की प्रविष्टि प्रदर्श पी-2 शामिल है जिस पर याचिकाकर्ता अत्यधिक भरोसा कर रहा है–का सम्यक परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर सका कि अभिलेख में कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है तथा उसकी जन्म तिथि 17.06.1950 है, तो तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस निष्कर्ष में कोई विकृति है या वह विधिसम्मत नहीं है, जब तक कि यह न दिखाया जाए कि यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, तथा जिसको संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप किया जा सकता है। जन्म रजिस्टर की प्रविष्टि को झूठा एवं कपटपूर्ण माना गया है। दोनों न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत कारण तर्कसंगत हैं, उनका विश्लेषण विधिसम्मत है, तथा इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है।

15.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ***[एम.पी. वीकली नोट्स 1990 (1) नोट 204 (डी.के. आर्य, आई.पी.एस बनाम भारत संघ)]*** में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें यह दर्शित किया है कि उच्च न्यायालय ने सेवा अभिलेख में जन्म तिथि सुधार हेतु परमादेश जारी किया, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड द्वारा जारी जन्म तिथि से संबंधित वैधानिक दस्तावेज पर विचार नहीं किया गया था। यह मामला भिन्न प्रकार का है। प्रथमतः, उक्त मामले में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रामाणिकता विवादित नहीं थी, और द्वितीयतः, कर्मचारी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे उक्त प्राधिकारी ने जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज पर विचार किए बिना निराकृत कर दिया था। स्वीकृत रूप से, उस प्रकरण में न तो कोई न्यायालय, न अधिकरण, और न ही ऐसा कोई वैधानिक निकाय था जो विवादित तथ्य पर निर्णय देने हेतु अधिकृत हो। वर्तमान प्रकरण इस विधि द्वारा शासित नहीं हो सकता। इस प्रकरण में श्रम न्यायालय ने विवाद का न्याय निर्णयन करते हुए निर्णय पारित किया है और तत्पश्चात औद्योगिक न्यायालय के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई, अतः याचिकाकर्ता उपरोक्त प्रतिपादित विधि का लाभ लेते हुए इस न्यायालय से परमादेश जारी किए जाने की प्रार्थना नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.प्रकरण के समस्त अभिलेखों का परीक्षण करने तथा तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान प्रकरण में संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने हेतु कोई स्पष्ट या असाधारण परिस्थिति परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में कोई प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि इंगित नहीं की जा सकी है। अधीनस्थ न्यायालयों ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध धनात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है, और इस स्तर पर उस निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिका गुणानुगुण रहित है एवं उसे बिना वाद व्यय के आदेश के खारिज किया जाता है। श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय के अभिलेखों को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMAN DESHMUKH